"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2005—वैशाख 9, शक 1927

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अ. वि. अ., रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2004

क्रमांक/44/अ.वि.अ./ट्रस्ट 04.— चूंकि श्री मां दुर्गा मंदिर ट्रस्ट समिति हनुमाननगर लाखेनगर वार्ड रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 11-10-04 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के 30 दिवस के भीतर में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	मां दुर्गा मंदिर ट्रस्ट समिति हनुमाननगर लाखेनगर वार्ड रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा विवेकानंद आश्रम रायपुर खाता क्र. 14068 जमा राशि 3934=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	ख. नं. 1101/1 रकबा 1000 फीट शासकीय नजूल भूमि पर दुर्गा मंदिर स्थित.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2005

क्रमांक/ 99/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.— चूंकि श्री मोहितराम कुरुवंशी आत्मज स्वर्गीय पुनीतराम कुरुवंशी, निवासी ग्राम मोहभट्ठापारा नेवरा ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 20-2-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1) पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : "गायत्री परिवार ट्रस्ट नेवरा" गायत्री शक्तिपीठ नेवरा तह. नेवरा जिला- रायपुर (छ. ग.).

(2) चल संपत्ति : भा. स्टेट बैंक शाखा नेवरा खाता क्र. सी. एन्ड आई 75 राशि 3369=00 रुपये.

(3) अचल संपत्ति : ग्राम सरोरा, ख. नं. 1023/1 का भाग रकबा 2.023 हे.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2005

क्रमांक/ 100/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.— चूंकि श्री रिखबचंद श्रीश्रीमाल आत्मज श्री गुलाबचंद, अग्रसेन चौक, समता कालोनी, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 17-3-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1) पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : "श्री नवकार शोध संस्थान एवं रतन फाउन्डेशन ट्रस्ट" मंगल-साधना केन्द्र, मंगलम बी. एम. वाय. दुग्ध डेयरी रोड उरला.

(2) चल संपत्ति : युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लिमि. खाता क्रमांक 13814 राशि 12100=00 रुपये.

(3) अचल संपत्ति : निरंक

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2005

क्रमांक/ 176/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.— चूंकि श्री रविकांत तिवारी आत्मज श्री बेनीमाधव तिवारी, सिविल लाईन, छत्तीसगढ़ कालेज के पीछे रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 22-4-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"उर्मिला तिवारी फाउन्डेशन ट्रस्ट" सिविल लाईन, छत्तीसगढ़ कालेज के पीछे रायपुर (छ. ग.).
(2)	चल संपत्ति	:	यूको बैंक, रायपुर बचत खाता क्र. जी. इ. एन. 12407 राशि 5000=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छ.ग.

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पाटन, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

पंजीयक, लोक न्यास, पाटन, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1555/प्र.1/2004.— चूंकि गायत्री परिवार ट्रस्ट, निवासी पाटन, तहसील पाटन, जिला दुर्ग ने छ. ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31-01-2005 को विचार के लिए लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एम. आर. भारद्वाज, पंजीयक, पाटन, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 31-01-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट, ग्राम पाटन, जिला दुर्ग

(2) संपत्ति का विवरण : निरंक

आज दिनांक 30-10-2004 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. आर. भारद्वाज,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.